न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 41 / 2021

1 केवलराम
2 प्रहलादराम पुत्रगण झाबुराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती शांति देवी पुत्री झाबुराम स्त्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 जीसुखराम पुत्र झाबुराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 ओमप्रकाश
4 धर्मवीर पुत्रगण गंगाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 उप पंजीयक चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 05.11.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी श्रीमती शांति देवी बनाम केवलराम वगै. मु.नं. 26 / 2019 दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 40 / 2021

1 केवलराम
2 प्रहलादराम पुत्रगण झाबुराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती शांति देवी पुत्री झाबुराम स्त्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं हाल निवासी नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 जीसुखराम पुत्र झाबुराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 ओमप्रकाश
4 धर्मवीर पुत्रगण गंगाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 उप पंजीयक चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अंतिम
डिक्री दिनांकित 22.04.2021 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी
श्रीमती संतोष देवी बनाम केवलराम वगे. मु.नं. 26 / 2019
दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुशील कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019, 22.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 199 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428/224 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सारी तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्रीमती शान्ति ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.11.2019 को प्राथमिक रूप से एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिनांक 22.04.2021 को अंतिम रूप से निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा के नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुये। अपीलान्टस के विरूद्ध दिनांक 05.11.2019 को विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने को आदेश गलत रूप से दिया। अपीलान्टस द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र जो प्रस्तुत किया उसे खारिज करने में विचारण न्यायालय ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कानुनी गलती की है। विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने पिता झाबुराम के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन में अपने हक हिस्से का त्याग अपीलान्टस व अपनी माता नानची एवं जिसुखराम के हक मे कर दिया था। इस कारण तहसीलदार चिड़ावा ने अपीलान्टस के पिता झाबुराम की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 31.12.1991 को सही रूप से अपीलान्टस व जिसुखराम व नानची के हक में सही रूप से स्वीकृत किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का विवादित जमीन पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विवाहित है तथा अपने ससुराल नुनीयां गोठड़ा रहती है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के वारिसान की शादी में अपीलान्ट व जिसुखराम ने परम्परा के मुताबिक भात छुछक किये है एवं काफी खर्चा किया है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब देही व साक्ष्य सबूत का उचित अवसर नहीं दिया। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री में लिखा है कि तहसीलदार चिड़ावा भूमि के मौके पर जाकर पक्षकारान का विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में दिये गये निर्देशों के मुताबिक तहसीलदार चिड़ावा जमीन के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का के द्वारा बनाये गये है। पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ता बनाने का अधिकार नहीं था। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट शान्ति, ओमप्रकाश, धर्मवीर से मिलकर गलत बनाये गये है। तथा रेस्पोडेन्ट शान्ति के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव गलत बनाये है। कानून से जमीन के विभाजन प्रस्ताव सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिये। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस के अनुपस्थिति में बाला बाला रूप से बनाये गये है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 199/5 की जमीन शान्ति देवी को दी गई है। शान्ति देवी को जमीन दी गई है वह सड़क पर है तथा किमती जमीन है एवं खसरा नम्बर 352/2 भी उपजाऊ जमीन है। विभाजन प्रस्ताव में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को जानबुझकर किमती व अच्छी जमीन दी गई है जबकि अपीलान्टस को कम उपजाऊ जमीन दी गई है। कानून से बंटवारा में सभी सहखातेदारों को कीमत के हिसाब से व उपजाऊ के हिसाब से बराबर जमीन देनी चाहिये। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खारिज होने योग्य है। विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.04.2021 को पारित की गई है। कोविड–19 के महामारी के कारण दिनांक 19.04.2021 से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण लोक डाउन का आदेश जारी कर दिया था। दिनांक 22.04.2021 को राज्य सरकार के आदेशानुसार सरकार कार्यालय बंद थे। विचाराधीन निर्णय व डिक्री 22.04.2021 अवकाश के दिन पारित की गई है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 199 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428/224 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सारी तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्रीमती शान्ति ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.11.2019 को प्राथमिक रूप से एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिनांक 22.04.2021 को अंतिम रूप से निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में वादी शांति देवी की ओर से ग्राम सारी की भूमि खसरा नम्बर 199, 428/224, 352 के मूलखातेदार झब्बुराम की विरासत के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा चाही थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं विरासतन दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर विचारण न्यायालय ने वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर वादी के हिस्से की उद्घोषणा कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की है। विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। इसके

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 199 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428/224 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सारी तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्रीमती शान्ति ने उक्त जमीन के बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.11.2019 को प्राथमिक रूप से एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिनांक 22.04.2021 को अंतिम रूप से निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय में वादी शांति देवी की ओर से ग्राम सारी की भूमि खसरा नम्बर 199, 428/224, 352 के मूलखातेदार झब्बुराम की विरासत के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा चाही थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं विरासतन दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर विचारण न्यायालय ने वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर वादी के हिस्से की उद्घोषणा कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की है। विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर